78

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक अपील–565–पीबीआर/02 विरुद्ध आदेश दिनांक 21.01.2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 90/2000–2001/अपील

शंभूदयाल पुत्र हरगोविंद शर्मा (मृतक) वारिसान
1. मुस. मिथलेश बेवा स्व0 शंभूदयाल शर्मा
2. कु. काजल पुत्री स्व0 शंभूदयाल शर्मा
3. विपिन पुत्र स्व0 शंभूदयाल शर्मा
4. सुविका पुत्री स्व0 शंभूदयाल शर्मा
निवासी धौलागढ जिला शिवपुरी
हाल– 9ए, पथनगर करौली माता मंदिर के पास
सिटी सेंटर ग्वालियर (म.प्र.) ....**अपीलार्थी**

विरुद्ध

म.प्र. शासन,
द्वारा– कलेक्टर, जिला शिवपुरी ....**रेस्पोडेंट**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

आदेश

(आज दिनांक 16/1/18 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 90/2000–2001/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.01.2002 के विरूद्ध म0प्र0

भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खनिज निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.03.1993 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम डोगरी के भूमि सर्वे कमांक 197 से अवैध रूप से फर्सी पत्थर का उत्खनन किया है जिसकी बाजारू कीमत 5,73,600/– रुपये की दोगुनी राशि रुपये 11,47,200 होती है। अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 27.10.95 को आवेदक पर 1000/– अर्थदण्ड एवं 11,47,200/– रुपये की वसूली के आदेश दिए गए थे। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21.01.2002 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपीलार्थी ने किसी भी शासकीय क्षेत्र अथवा सर्वे कमांक 197 में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया है, बल्कि जो भी उत्खनन किया गया है वह भी उस क्षेत्र में किया गया है जिसकी लीज अपीलार्थी को शिक्षित बेरोजगार होने के आधार पर दी गयी थी। स्थल पर माप किए बिना अपीलार्थी को शासकीय क्षेत्र से उत्खनन के लिए दोषी नहीं माना जा सकता।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और शासन पक्ष की साक्ष्य पर जिरह का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया और विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया था और प्रकरण में एक–एक दो–दो दिन की तिथि लगाकर अपीलार्थी को साक्ष्य के स्वत्व से वंचित कर दिया गया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत है।

4/ रेस्पोंडेंट शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया था, परंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पारित

आदेश न्यायसंगत एवं विधिमान्य है। अपर आयुक्त द्वारा भी अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई हैं। उक्त आधारों पर विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण अवैध उत्खनन का है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, किंतु उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अपर कलेक्टर ने प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर यह पाया है कि अपीलार्थी को अन्य सर्वे नं. में 3 हेक्टेयर का उत्खनन पट्टा दिया गया था, जबकि उसके द्वारा शासकीय भूमि सर्वे नं. 197 के रकवा 6 हेक्टेयर में अवैध उत्खनन करना प्रमाणित होता है। उक्त कारणों से उन्होंने आवेदक द्वारा उत्खनन किया जाना सिद्ध होने के कारण आवेदक को दोषी मानते हुए अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर